न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1601/2026
CNR No.UPBB 0100 3609 2026

इमरान उर्फ भुट्टा आयु 27 वर्ष पुत्र स्व० जाकिर अली निवासी– हसन नगर दशहराबाग, बड़ेल, थाना कोतवाली नगर जिला बाराबंकी।

----- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–325/2026
धारा–317(2), 317(4) बीएनएस
थाना–कोतवालीनगर,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री जे.एच.त्रिपाठी
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	05.06.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	22.06.2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1728/2026
CNR No.UPBB 0100 3865 2026

मो० हसीब उर्फ रांकी आयु करीब 25 वर्ष पुत्र मो० मोबीन अली निवासी ग्राम हसननगर, दशहराबाग, बड़ेल, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी।

----- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार – विपक्षी।

अपराध सं–325/2026
धारा–317(2), 317(4) बीएनएस
थाना–कोतवालीनगर,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री हरिनाथ प्रसाद वर्मा
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	20.06.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	22.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं अतः इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अभिषेक राय ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 23.04.2026 को वह उ0नि0 अभिषेक राय मय हमराह कां चन्दहंश, का० सुरेश कुमार व का० कमलेश कुमार के साथ बिनावर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर होकर रेनू हास्पिटल के पास चेकिंग कर रहे थे तभी मुखबीर खास नें सूचना दी कि उनके मुकदमे से संबंधित मोटरसाइकिल चोर, मोटरसाइकिल व अपने एक अन्य साथी के साथ ओबरी जंगल वाली रोड पर खड़े हैं यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर वे पुलिस जन आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया गया कि उन लोगों के पास कोई अवैध वस्तु नही है इत्मिनान होने पर वे पुलिसजन आपस में सलाह मशवरा कर एक दूसरे को प्रकरण से अगवत कराते हुए मुखविर के बताये हुए रास्ते पर अपनी अपनी मोटरसाइकिल से चल दिये रास्ते मे कारण बताकर गवाह फरमाये गये परन्तु भलाई बुराई के डर से कोई गवाही हेतु तैयार नही हुआ। वे पुलिस जन मुखविर के बताये रास्ते पर चलकर ओबरी जंगल रोड की तरफ चल दिए थोड़ी दूर चलकर मोटरसाइकिल की रोशनी में दो व्यक्ति अलग अलग मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दिए। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी कर एक बारगी दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियों को मोटरसाइकिल सहित उसी स्थान पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहली मोटरसाइकिल नं0 UP41AY0392 पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम इमरान उर्फ भुट्टा पुत्र स्व० जाकिर अली निवासी हसननगर दशहराबाग बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 24 वर्ष बताया तथा पीछे की तरफ दूसरी मोटरसाइकिल बिना नं प्लेट पर सवार व्यक्ति ने अपना नाम मो० हसीब उर्फ राँकी पुत्र मोबीन अली निवासी हसननगर दशहराबाग बड़ेल थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी उम्र करीब 25 वर्ष बताया। उनसे नावक्त खड़े होने का कारण

पूछा गया तो इधर उधर की बात करने लगे कड़ाई से पूछताछ करने पर पहली मोटरसाइकिल नं0 UP41AY0392 पर बैठे व्यक्ति इमरान उर्फ भुट्टा उपरोक्त ने बताया कि साहब यह मोटरसाइकिल उसने पल्हरी टेंपो स्टैंड के पास ठेके से उठाई थी तथा दूसरी मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति मो० हसीब उर्फ राँकी के बारें में बताया कि साहब यह उसका साथी हैं तथा उन लोगों ने इस बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी यमहा R15 को कुछ समय पहले लखनऊ से उठाया था। और कड़ाई से पूछने पर दोनो ने बताया कि साहब वे लोग चोरी किए हुए दोनो मोटरसाइकिल को लखनऊ बेचने के लिए ले जा रहे थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों को उनके जुर्म सम्बन्धित मु0 अ 0 सं0 322/26 धारा 303 (2)/317(2)/317 (4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी से अवगत कराते हुए समय करीब 04.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया व बरामद मोटरसाइकिलो को हमराही कर्मचारियो के माध्यम से हिकमत अमली से कब्जा पुलिस मे लेकर थाने पर लाया गया।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण को स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा उनके घर से पूछतांछ के लिए बुलाकर लायी और गुडवर्क दिखाने के लिए कथित फर्जी बरामदगी दिखार फर्जी फंसा दिया गया। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं हैं। आवेदक/अभियुक्तगण के पास से दिखाई गई बरामदगी फर्जी है। फर्द बरामदगी का कोई भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नही है। कथित बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व से दर्ज नही है। कथित बरामदगी की शिनाख्त नही कराई गई है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 23.04.2026 से जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध हैं। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्तगण को मुखबिर की सूचना पर चोरी की गई मोटरसाइकिलों के साथ बरामद किये जाने का अभियोजन कथानक है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्तगण को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ओबरी जंगल वाली रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण के पास से दो अदद मोटरसायकिल बरामद की गई

है। अभियुक्तगण को पुलिस के समक्ष दिये गये बयान के आधार पर तथा बरामद मोटरसायकिल के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में नामित किये जाने का अभियोजन कथानक है। कथित चोरी तथा बरामदगी या गिरफतारी का कोई जनसाक्षी नहीं है। मामले में विवेचना प्रचलित है। थाने से आहूत आख्या में आवेदक/अभियुक्त इमरान उर्फ भुट्टा का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 23.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

जहां तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त **इमरान उर्फ भुट्टा** के आपराधिक इतिहास होने का तर्क किया गया है इस सन्दर्भ में विधि व्यवस्था **2020 (1) क्राईम्स 153 (एससी) प्रभाकर तिवारी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य** के प्रस्तर संख्या–7 में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्त जमानत पाने का पात्र है तो उसकी जमानत इस आधार पर निरस्त नहीं की जानी चाहिये कि उसका आपराधिक इतिहास है। उक्त विधि व्यवस्था का प्रस्तर–7 निम्नवत है।

> **7–** *On considering the submissions of the learned counsel for the parties. Having regard to the circumstances of this case, in our opinion, there has been no wrong or improper exercise of discretion on the part of the High Court in granting bail to the accused. The factors outlined in the case of Mahipal (supra) for testing the legality of an order granting bail are absent in the order impugned. The materials available do no justify arriving at the conclusion that the order impugned. The materials available do not justify arriving at the conclusion that the order impugned suffers from non & application of mind or the reason for granting bail is not borne out from a prima-facie view of the evidence on record. The offence alleged no doubt is grave and serious and there are several criminal cases pending against the accused. These factors by themselves cannot be a basis for refusal of prayer for bail. The High Court has exercised its discretion in granting bail to the accused Vikram Singh upon considering relevant materials. No ex-facie error in the order has been shown by the appellant which would establish exercise of such discretion to be improper. We accordingly sustain the order of the*

High Court granting bail. This appeal is dismissed.

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **इमरान उर्फ भुट्टा तथा मो० हसीब उर्फ रॉकी** उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा अंकन–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्तगण दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नहीं करेंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेंगे तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उनकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश की एक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1728/2026, मो० हसीब उर्फ रॉकी बनाम राज्य उ०प्र० की जमानत पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक– 22.06.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।